PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Business Bhaskar, Faridabad
Saturday, 9th July 2011, Page: 1
Width: 10.72 cms Height: 22.19 cms, Ref: pmin.2011-07-09.65.6

फार्मा इंडस्ट्री के अनुकूल होगी सब्सिडी स्कीम

महेंद्र सिंह ० नई दिल्ली

क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) के खराब प्रदर्शन को देखते हुए फार्मास्यूटिकल्स विभाग इस स्कीम को फार्मा इंडस्ट्री में अलोकप्रिय बनाने वाले क्लॉज को हटाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने कुछ बदलाव के साथ यह स्कीम पिछले वर्ष ही शुरू की थी।

सूत्रों के मुताबिक छोटी और मझोली दवा कंपनियों को अपने मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट जीएमपी मानकों के अनुरूप अपग्रेड करने में वित्तीय सहायता देने के लिए सीएलसीएसएस शुरू की गई थी। हालांकि, एक क्लॉज के तहत सब्सिडी लेने के लिए कंपनी द्वारा पिछले तीन वर्ष का मुनाफा दिखाने वाली बैलेंस शीट जमा करना जरूरी होने के कारण स्कीम को इंडस्ट्री की ओर से कोई खास रिस्पांस नहीं मिला। फार्मास्यूटिकल्स विभाग अब ऐसे क्लॉज को हटाकर स्कीम को अधिक इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाने पर विचार कर रहा है। मालूम हो कि इस स्कीम के तहत मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट को जीएमपी मानकों के अनुरूप अपग्रेड करने के लिए छोटी और मझोली दवा कंपनियों को 1 करोड़ रुपये तक की मशीन खरीदने के लिए कर्ज लेने पर 15 फीसदी तक सब्सिडी दी जाती है।

इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स विभाग उद्योग संगठनों के साथ मिलकर फिर से जीएमपी मानकों के अनुरूप इकाइयों को अपग्रेड करने की जरूरत और सब्सिडी स्कीम की उपलब्धता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यशाला आयोजित करेगा। इन कार्यशालाओं में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा जिससे कि कंपनियों को कर्ज मिलने में होने वाली दिक्कतों को दूर किया जा सके। इससे पहले फार्मास्यूटिकल्स विभाग फार्मा कंपनियों की सघन मौजूदगी वाले शहरों में ऐसी ही कार्यशालाएं आयोजित कर चुका है। हालांकि, अपनी कमियों के कारण इंडस्ट्री ने स्कीम को लेकर कोई खास उत्साह नहीं दिखाया।

सरकार ने छोटी और मझोली दवा कंपनियों को जीएमपी मानकों के अनुरूप अपग्रेड करने में वित्तीय मदद देने के लिए सीएलसीएसएस शुरू की थी, लेकिन स्कीम की प्रक्रिया काफी जटिल होने के कारण कंपनियों ने इसका लाभ उठाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बाद कमजोर रिस्पांस का हवाला देते हुए योजना आयोग ने स्कीम को वापस ले लिया। सीएलसीएसएस की असफलता और छोटी कंपनियों द्वारा अपनी यूनिटों को अपग्रेड करने के लिए वित्तीय सहायता की मांग करने के बाद फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने एक नई योजना फार्मास्यूटिकल्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड (पीटीयूएफ) लांच की। लेकिन योजना आयोग ने यह कहते हुए इस योजना को मंजूरी देने से मना कर दिया कि सरकार ने पहले ही छोटी कंपनियों के टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए सीएलसीएसएस लांच की हुई है। ऐसे में एक ही मकसद के लिए दूसरी योजना लांच करने की जरूरत नहीं है। योजना आयोग ने फार्मास्यूटिकल्स विभाग से सीएलसीएसएस को अधिक इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाने को कहा। संबंधित मंत्रालयों के साथ कई दौर की बातचीत के बाद फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने कुछ बदलाव के साथ सीएलसीएसएस पेश की। हालांकि, इन कवायदों के बावजूद छोटी दवा कंपनियां इस स्कीम को इंडस्ट्री फ्रेंडली नहीं पा रही हैं।

इस स्कीम को फार्मा इंडस्ट्री में अलोकप्रिय बनाने वाले क्लॉज को हटाने पर विचार

फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने कुछ बदलाव के साथ यह स्कीम पिछले वर्ष ही शुरू की थी

इस स्कीम के तहत मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट को जीएमपी मानकों के अनुरूप अपग्रेड करने के लिए छोटी व मझोली दवा कंपनियों को 1 करोड़ रुपये तक की मशीन खरीदने के लिए कर्ज लेने पर दी जाती है 15 फीसदी तक सब्सिडी